

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 31/2017 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1. रायसिंह उर्फ राया पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. भगवानी बाई पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगू पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. देवा पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
3. रामदेव पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
4. नाथीबाई बेवा नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
5. देवा पिता धन्ना मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
6. मोडी बाई पत्नी धन्ना मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
7. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बोहेड़ा
8. तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —
मौजा नयाखेड़ा पटवार हल्का केवलपुरा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1— रायसिंह उर्फ राया पिता नवला मीणा सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
640/2	0.170
634/2	0.070
904	0.030
903/1	0.060
1028/1	0.095
कुल 5	0.425

2— रामदेव पिता नवला मीणा सा.देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
903/2	0.1250
1028/2	0.1150
1002/2	0.1850
कुल 3	0.4250

3— देवा 1/4 मांगू 1/4 भगवानीबाई 1/4 (मृत्यु) पिता नवला
नाथीबाई पत्नी नवला 1/4 (मृत्यु) मीणा सा.देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
640/1	0.350
634/1	0.020
903/3	0.055
कुल 3	0.425




PTO

4- देवा पिता धन्ना 1/2 मोतीबाई पत्नी धन्ना 1/2 (मृत्यु) मीणा सा.देह.खातेदार	
आ. नं.	रकबा
643	0.150
1002/1	0.495
कुल 2	0.645

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर




प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 31/2017 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1. रायसिंह उर्फ राया पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. भगवानी बाई पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगु पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. देवा पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
3. रामदेव पिता नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
4. नाथीबाई बेवा नवला मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
5. देवा पिता धन्ना मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
6. मोडी बाई पत्नी धन्ना मीणा नि. नयाखेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
7. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बोहेड़ा
8. तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —
मौजा नयाखेड़ा पटवार हल्का केवलपुरा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1— रायसिंह उर्फ राया पिता नवला मीणा सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
640/2	0.170
634/2	0.070
904	0.030
903/1	0.060
1028/1	0.095
कुल 5	0.425

2— रामदेव पिता नवला मीणा सा.देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
903/2	0.1250
1028/2	0.1150
1002/2	0.1850
कुल 3	0.4250

3— देवा 1/4 मांगू 1/4 भगवानीबाई 1/4 (मृत्यु) पिता नवला
नाथीबाई पत्नी नवला 1/4 (मृत्यु) मीणा सा.देह खातेदार

आ. नं.	रकबा
640/1	0.350
634/1	0.020
903/3	0.055
कुल 3	0.425



PTO

4- देवा पिता धन्ना 1/2 मोतीबाई पत्नी धन्ना 1/2 (मृत्यु) मीणा सा.देह.खातेदार	
आ. नं.	रकबा
643	0.150
1002/1	0.495
कुल 2	0.645

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज राहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/185

दिनांक : 7/11/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी